GOVERNMENT OF JHARKHAND

AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY & CO-OPERATIVE DEPARTMENT
(CO-OPERATIVE DIVISION)

OFFICE OF REGISTRAR , CO-OPERATIVE SOCIETIES JHARKHAND, RANCHI
INTEGRATED CO-OPERATIVE DEVELOPMENT PROJECT (I.C.D.P.) CELL, RANCHI)

Short term e-procurement Notice

1.

Date:- 24.09.2022

S. No	Tender Reference No	Work Name	Estimated Cost	Completion Time
01.	ICDP/RANCHI/02/2022-23	Construction of 60 Nos 05 MT Solar Cold Room (Civil Work) At Different Places in Jharkhand	1,72,56,000.00	06 Months

2. Date Of Publication of Tender on Website :- 24.09.2022 AT 11:00 AM
3. Start Date/Time of submission of bid :- 24.09.2022 AT 11:00 AM
4. Last Date/Time of submission of bid :- 10.10.2022 AT 05:00 PM
5. Last Date/Time of submission of Hard copy Bid Security Money and tender Fee :- 11.10.2022 UP To 03:00 PM
6. Date/Time of Opening of Bid :- 12.10.2022 AT 12:00 NOON
7. Name & Address of Office Inviting Tender :- State Monitoring Officer, ICDP Cell, Ranchi
   4th Floor Pasupalan-Sahkarita Bhawan, Singh More Hesag, Hatiya, Ranchi.
8. Helpline Number of office :- 9431378938, 7250895727
9. E-mail ID :- smoicdpcell@gmail.com

Any Change can be seen on Website http:// Jharkhandtender.gov.in

Any other information can be seen on http:// Jharkhandtender.gov.in

Sd/-

State monitoring Officer

ICDP Cell, Ranchi

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची

(समेकित सहकारी विकास परियोजना, (आई०सी०डी०पी०) कोषांग, राँची)

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 5 MT Solar Cold Room अधिष्ठापन हेतु असैनिक निर्माण कार्य के लिए अल्पकालीन निविदा से सम्बन्धित शर्ते निम्नवत् है :–

(A) Technical Bid की शर्ते :–

1. 05 एम०टी० क्षमता के 60 Solar Cold Room अधिष्ठापन हेतु असैनिक निर्माण कार्य झारखण्ड के विभिन्न जिलों में किया जाना है।
2. निविदा के साथ G.S.T, EPF, ESIC एवं PAN Number की स्व– अभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दाता को तीन वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न एवं अद्यतन (अगस्त 2022) तक का G.S.T. रिटर्न प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
4. भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत पंजीकृत समुचित श्रेणी के सम्वेदक ही इस निविदा में भाग ले सकेंगे।
5. निविदा के साथ समुचित श्रेणी के पंजीकृत पत्र, जी०एस०टी० निबंधन, आयकर एवं जी०एस०टी० सफाया प्रमाण पत्र अतिरिक्त यंत्र–संयत्र के स्वामित्व/लीज/हायर/सम्बन्धित कागजतात की स्वः अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति समर्पित करना होगा।
6. निविदादाता सभी निविदा कागजात के सभी पृष्ठों का क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर उपर के पृष्ठ पर कुल पृष्ठ संख्या अंकित करेंगे अन्यथा भविष्य में किसी तरह के विवाद के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. निविदा के साथ परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि व्यक्तिगत नाम पंजीकृत सम्वेदक अग्रधन के रूप में झारखरण्ड राज्य के अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वां, 5वां, तीसरा) वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत जमा सावधि संलग्न किया जा सकता है जो राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई०सी०डी०पी० कोषांग, राँची के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञिप्त रहना अनिवार्य होगा।
8. किसी प्रकार की दर बढ़ोतरी (प्राईस एस्कालेशन) मान्य नहीं होगा।
9. शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगा।
10. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ संलग्न शर्ते एकरारनामा का अभिन्य अंग होगा।
11. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के पास सुरक्षित रहेगा।
12. सफल निविदादाता को निविदा के निष्पादन के 10 (दस) दिनों के अन्दर एकरारनामा आशय करना होगा अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त करते हुए दूसरे योग्य न्यूनतम दर दाता के नाम कार्य आबंटित कर दिया जाएगा तथा प्रथम सफल निविदादाता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
13. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है।

14. कार्य समाप्ति के बाद कार्य त्रुटिपूर्ण दायित्व (Defect Liability Period) 12 (बारह) माह का होगा।

15. सम्वेदक के विपत्र से CGST/SGST, आयकर, रॉयल्टी रिभेन्यु आदि के अलावा सरकार के आदेशानुसार 01 (एक) प्रतिशत राशि लेबर सेस हेतु कटौती की जाएगी।

16. योजना की फोटोग्राफी GPS सहित तीन चरण में यथा कार्य प्रारम्भ के दिन, कार्य चालू रहने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से करायी जानी है।

17. योजना का कार्यान्वयन प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ कराना सुनिश्चित करेंगे। प्राक्कलन में प्रावधानित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर कार्यकारी सम्वेदक पर विधिवत्/कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

18. एकरारनामा विहित प्रपत्र F-2 में Clause -23 छोड़कर किया जाएगा

19. सम्वेदक को इस आशय का शपथ–पत्र देना आवश्यक होगा कि वे अपना कार्य किसी को Sublet नहीं करेंगे।

20. Technical Bid में सफल होने के बाद ही किसी भी निविदादाता का Financial Bid खोला जाएगा।

21. निविदादाता को राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई०सी०डी०पी० कोषांग, राँची के पदनाम से मो0 1,70,700.00 (एक लाख सत्तर हजार सात सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट /सावधि जमा/पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्गत NSC अग्रधन (EMD) के रूप में निविदा के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई०सी०डी०पी० कोषांग, राँची (STATE MONITORING OFFICE I.C.D.P. CELL, RANCHI) के प्रतिज्ञप्त (Pledged) होगा। चयनित निविदादाता को छोड़कर बाकी सभी की अग्रधन (EMD) की राशि वापस कर दी जाएगी।

22. निविदादाता को किसी भी विभाग/संस्थान में काली सूची (Black Listed) में दर्ज नहीं रहने का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा। निविदादाता को जिला दंडाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो पिछले 12 माह की अवधि के अन्दर निर्गत हुआ हो।

23. निविदादाता को अपने फर्म का तीन वर्षों का (2019-20, 2020-21 & 2021-22) CA Certified turn over, Balance Sheet, Net Worth, Profit-Loss Certificate लगाना अनिवार्य है।

24. कार्य से संबंधित विशेष जानकारी किसी कार्य दिवस में कार्यालय, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई०सी०डी०पी० कोषांग, चतुर्थ तल, पशुपालन–सहकारिता भवन, हेसाग, सिंह मोड, हटिया, राँची से प्राप्त की जा सकती है।

(B) <u>Financial Bid की शर्ते</u> :–

1. सोलर कोल्ड रूम अधिष्ठापन हेतु असैनिक निर्माण कार्य के लिए निविदादाता को वर्णित दर प्रति ईकाई सभी दर कर सहित Computerized Printed (अंको एवं शब्दों) में अंकित करना होगा। एक से ज्यादा दर अंकित करने वाले निविदा दाता की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(C) <u>अन्य शर्ते</u> :–

1. स्वीकृत निविदादाता को सोलर कोल्ड रूम का अधिष्ठापन आदेश एवं सक्षम पदाधिकारी के साथ एकरारनामा की तिथि के 06 (छः) माह के अन्दर चयनित स्थलों पर असैनिक कार्य पूर्ण करना होगा।
2. सोलर कोल्ड रूम (असैनिक कार्य) की निविदा में दर समान होने की स्थिति में अनुभवी निविदा दाता को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य एक से ज्यादा निविदा दाताओं में विभक्त किया जा सकता है, जिस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची का निर्णय अंतिम होगा।
3. निविदा का निस्तारण अनुभव, गुणवत्ता एवं कमिटी द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के आलोक में किया जाएगा।
4. चयनित निविदादाता को अग्रिम राशि (Advance) देय नहीं होगा।
5. निविदादाता को असैनिक कार्य पूर्ण करने के उपरांत गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को सोलर कोल्ड रूम के असैनिक कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सोलर कोल्ड रूम अधिष्ठापन उपरान्त Cooling एवम् अन्य कार्य सुचारू रूप से चलने के बाद हीं असैनिक कार्य पूर्ण करने वाले निविदादाता को उक्त राशि का भुगतान की जाएगी।
7. कार्य स्थल पर निर्माण सामाग्री संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवम् उनकी सुरक्षा संवेदक को नीजि खर्च पर करनी होगी।

ह०/–
राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी
आई०सी०डी०पी० कोषांग,
राँची।